

**न्यायालय: श्री ठाश कुल, न्यायिक ढजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (ढ.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-1071/2012

संस्थित दिनांक-31.12.2012

फाईलिंग क्र. 234503001632012

ढध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (ढ.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-शिवकुमार यादव पिता परसराम यादव, उम्र-21 वर्ष,
निवासी-ग्राम बोदा, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (ढ.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-12/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325, 323, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.12.2012 को करीब 10:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत रेवनसिंह के घर के पास गली में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी रेवनसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत रेवनसिंह को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा आहत झमियाबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी रेवनसिंह ने दिनांक-19.12.2012 को पुलिस थाना बिरसा में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक-18.12.2012 को आरोपी शिवकुमार ने बिना उससे पूछे उसकी गाड़ी से पाना पेंचीस इत्यादि का उपयोग किया। वाहन के चालक दयाल द्वारा पूछने पर उसने बताया कि आरोपी शिवकुमार ने पाना-पेंचीस इत्यादि का उपयोग किया है। इस बात के विवाद को लेकर आरोपी शिवकुमार ने उसे जान से मारने की धमकी दी तथा माँ-बहन की अश्लील गालियां दी। आरोपी ने उसे बाएं हाथ की कलाई में मारा, जिससे उसे चोट आई थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-149

अंतर्गत धारा-294, 506, 323 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी जप्त किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गए। विवेचना के दौरान आहत की एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-325 का ईजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325, 323, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-18.12.2012 को करीब 10:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत खेमसिंह के घर के पास गली में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी रेवनसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत रेवनसिंह को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत झमियाबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

4- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 एवं 4 का निष्कर्ष :-

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6— अभियोजन साक्षी रेवनसिंह (अ.सा.1) ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक को अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी श्यामाबाई (अ.सा.2), झमियाबाई (अ.सा.3), गोरेलाल धुर्वे (अ.सा.5) के कथनों में भी इस प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है, जिससे यह प्रमाणित हो रहा हो कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक को फरियादी को मौं-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया गया था। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी एवं उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था। इस प्रकार प्रकरण में अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को फरियादी को आरोपी ने आपराधिक अभित्रास कारित किया। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतएव आरोपी को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 व 3 का निष्कर्ष

- 7— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी रेवनसिंह (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के 8-9 माह पूर्व की है। वाहन चालक दयाल का वाहन खराब था तो वह वाहन को देख रहा था, तभी आरोपी शिवकुमार ने वाहन में रखे पाना पेंचीस निकाल लिया। जब वाहन चालक दयाल वापस आया तो फरियादी ने आरोपी का नाम बताया था। इस बात को लेकर आरोपी उसके घर आया और उससे विवाद करने लगा कि उसने उसका नाम क्यों बताया है। बाद में आरोपी ने लाठी उठाकर उसके बाएं हाथ में मारा, जिससे उसका हाथ टूट गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय

परीक्षण कराया था और उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी से घटना दिनांक को विवाद किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट लिखाते समय तथा हाथ टूटने वाली बात लिखा दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना शाम के 8:00 बजे की है, जबकि घटना की रिपोर्ट उसने दूसरे दिन 3:00 बजे दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ घटना दिनांक को मारपीट की थी।

8— अभियोजन साक्षी श्यामाबाई (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। फरियादी रेवनसिंह उसका पति है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि 8:00 बजे की है। वह भोजन बना रही थी, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई तो वह घर के बाहर गई, तो देखा कि आरोपी और फरियादी आपस में लड़ रहे थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब घटना हुई थी तो वह घर के अंदर थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी के हाथ में कोई लाठी नहीं थी और न ही उसने आरोपी को फरियादी को लाठी मारते हुए देखा था। आरोपी और फरियादी आपस में लड़ झगड़ रहे थे और फरियादी रेवनसिंह के गिर जाने के कारण उसे हाथ में चोट आई थी। साक्षी ने यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि आरोपी तथा फरियादी द्वारा घटना दिनांक को शराब पी गई थी और शराब के नशे में एक-दूसरे से झगड़ा किया था।

9— अभियोजन साक्षी गोरेलाल धुर्वे (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। आहत झमियाबाई को नहीं जानता। घटना उसके कथन से लगभग 3 वर्ष पूर्व शाम 7 बजे की है। आरोपी शिवकुमार उसकी दुकान से पाना-पेंचीस ले गया था, उसी बात को लेकर आरोपी ने उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने रेवनसिंह की वाहन चालक से कोई बातचीत नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि शिवकुमार के हाथ में लाठी नहीं थी और हल्ला होने पर वह मौके पर पहुंचा था।

10— अभियोजन साक्षी झमियाबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती। फरियादी रेवनसिंह के घर के पास में उसका घर है। जब वह घटना दिनांक को वापस आ रही थी, तब एक व्यक्ति ने उसे लकड़ी से कंधे एवं कमर पर मारा था। फरियादी रेवनसिंह को किसने मारा था, इसकी

उसे जानकारी नहीं हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी को माँ-बहन की गालियां दी थीं और लाठी से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना फरियादी रेवनसिंह के घर के सामने की नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि लकड़ी से उसके साथ मारपीट नहीं की गई थी और धक्का-मुक्की में गिरने से उसे चोट आई थी।

11— डॉ. हेमा बिसेन (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.12.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक रितु सिंह क्रमांक-946 द्वारा झमियाबाई पति पदमसिंह धुर्वे उम्र-48 वर्ष, निवासी तरेगांव को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया था, परीक्षण पर उसने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत रेवनसिंह पिता धरमसिंह उम्र-45 वर्ष, निवासी-बोदा को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाए जाने पर परीक्षण करने पर उसने आहत के बाएं हाथ में एक कंटूजन, जिसका आकार चार इंच गुणा चार इंच का था, बाएं पैर के पंजे में एक खरोंच जिसका आकार एक चौथाई गुणा एक चौथाई इंच का था। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि आहत को आई चोटे बोथरी, खुरदरी एवं कड़ी वस्तु से आना प्रतीत होती थी, जिसके लिए उसके द्वारा आहत रेवनसिंह को एक्सरे की सलाह देकर आहत को जिला चिकित्सालय बालाघाट जाने की सलाह दी गई थी। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण से 12 से 24 घंटे के अंदर की होना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक-2 को ठीक होने में दो से चार दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आहत रेवनसिंह को आई चोटें उसके भागते हुए गिर जाने से आ सकती है।

12— अभियोजन साक्षी डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-28.12.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-20.12.2012 को ए.के. सेन एक्सरे टेक्निशियन ने आहत रेवनसिंह के बाएं हाथ का एक्सरे किया था, जिसकी एक्सरे प्लेट क्रमांक-5383 था, जिसे डॉक्टर मेश्राम ने एक्सरे हेतु रेफर किया था। उसकी एक्सरे

प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके अलना हड्डी के नीचले एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था, जिसमें कैलेश नहीं था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि एकसरे प्लेट पर लिखे नंबर के आधार पर उसने अपनी परीक्षण रिपोर्ट पेश की है। उसने यह भी स्वीकार किया कि हाथ के बल गिरने से आहत को आई चोट आना संभव है।

13— प्रकरण में विवेचक एम.एल. धुर्वे की मृत्यु हो जाने से एवं फौती रिपोर्ट प्राप्त होने से उसका न्यायालयीन परीक्षण नहीं हुआ है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 325 का अभियोग है। अभियोजन साक्षी रेवनसिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपी शिवकुमार ने लाठी उठाकर उसके बाएं हाथ में मारा था, जिससे उसका हाथ टूट गया था। अभियोजन साक्षी झमियाबाई (अ.सा.3) का कथन है कि उसे लाठी से एक व्यक्ति ने मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि लाठी से किसने मारा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

14— अभियोजन साक्षी डॉ. हेमा बिसेन (अ.सा.6) ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। अभियोजन साक्षी डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.4) ने भी स्वयं अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 को प्रमाणित किया है। इस प्रकार आहतगण झमियाबाई को साधारण व रेवनसिंह को घोर उपहति की चोट आना प्रमाणित हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या यह चोट आरोपी के द्वारा स्वेच्छया आहतगण को उपहति एवं घोर उपहति कारित की गई थी। अभियोजन साक्षी झमियाबाई (अ.सा.3) ने स्पष्टतः इस बात से इंकार किया है कि आरोपी शिवकुमार ने उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभियोजन साक्षी श्यामाबाई (अ.सा.2) जो की फरियादी रेवनसिंह की पत्नी है ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी और फरियादी के मध्य शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और गिरने से आहत को चोट आई थी, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना दिनांक को जब फरियादी एवं आरोपी आपस में विवाद कर रहे थे तब गिरने से आहत को चोट कारित होना संभव है। अन्यथा भी शराब के नशे में आरोपी और फरियादी के बीच विवाद हुआ था तो आरोपी द्वारा स्वेच्छया आहत को घोर उपहति कारित की गई हो यह बात नहीं मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त साक्षी श्यामाबाई (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी के हाथ में लाठी नहीं थी।

जबकि मौके पर उपस्थित आहत चक्षुदर्शी साक्षी रेवनसिंह का कहना है कि आरोपी ने लकड़ी उठाकर उसके बाएं हाथ पर मारी थी। उपरोक्त दोनों अभियोजन साक्षी इस लाठी से मारने के बिन्दु पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। उपरोक्त विवेचना में अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण में विरोधाभासी स्थिति होने से यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती और आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 325 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16- आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

17- प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

**देवास
दिनांक-12.05.2016**

**(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट**